

अध्याय 2

राज्य का वित्त

2.1 वर्ष 2018-19 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन

यह अध्याय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार के वित्त का एक विहंगम दृष्टि एवं लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018-19 के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

तालिका 2.1 पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन को दर्शाता है।

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 4.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की की स्वयं के कर प्राप्तियों में 13.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 5.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में 13.86 प्रतिशत की कमी हुई✓ भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में 33.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 11.51 प्रतिशत तक वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.99 प्रतिशत तक वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.17 प्रतिशत तक वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.84 प्रतिशत तक वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय में 7.80 प्रतिशत की कमी हुई।✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 56.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 11.46 प्रतिशत की कमी आई है।✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 13.20 प्रतिशत की कमी आई है।
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 88.89 प्रतिशत की कमी हुई।✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 3.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों में 22.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सार्वजनिक ऋण की वसूली में 38.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 66.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ लोक लेखा के संवितरण में 68.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none">✓ पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान नगद शेष राशि में ₹ 2,668.09 करोड़ (335.44 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

तालिका 2.2 वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना करता है।


तालिका 2.2: वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	व्यौरा	2018-19	2019-20	वृद्धि / कमी
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभिक नकद शेष	-242.16	188.30	430.46
	राजस्व प्राप्तियाँ	56,151.70	58,417.14	2,265.44
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	47.57	49.19	1.62
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (शुद्ध)	4,743.32	5,361.72	618.40
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (शुद्ध)	2,315.90	2,430.28	114.38
	कुल	63,016.33	66,446.63	3,430.30
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	50,630.73	56,456.63	5,825.90
	पूँजीगत व्यय	10,711.71	9,878.71	-833.00
	ऋण एवं अग्रिम का वितरण	1,485.59	165.43	-1,320.16
	भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी शेष	188.30	-54.14	-242.44
	कुल	63,016.33	66,446.63	3,430.30

चार्ट 2.1 वर्ष 2019-20 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता का विवरण प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.1: 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण



2.3 राज्य के संसाधन

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूंजी एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे लोक लेखा (वितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों को भी घाटों को वित्त प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया।

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दी गई है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघ करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से अनुदान शामिल रहता है।


2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) से कर्ज प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल रहता है।

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य के समेकित निधि का हिस्सा है

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ** : कुछ विशेष लेन-देन यथा छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ एवं भुगतान होते हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्यविधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं रखा जाता है। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

चार्ट 2.2 में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक दिये गए हैं।

चार्ट 2.2: वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक



2.3.1 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

2.3.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि में स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। आगे, स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों के संयोजन परिशिष्ट 2.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ


मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	40,638	47,054	52,756	56,152	58,417
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.74	15.79	12.12	6.44	4.03
स्वयं का कर राजस्व	11,478	13,299	12,353	14,752	16,771
कर-भिन्न राजस्व	5,853	5,351	7,847	8,258	8,750
स्वयं की राजस्व वृद्धि दर (स्वयं के कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	18.0	7.6	8.3	13.9	10.9
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 क्रम में)	2,06,613	2,36,250	2,69,816	2,97,204	3,28,598
स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	-5.45	14.34	14.21	10.15	10.56
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	19.67	19.92	19.55	18.89	17.78
उत्प्लावकता अनुपात¹					
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	*	1.10	0.85	0.63	0.38
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता	*	0.53	0.58	1.37	1.03

स.रा.घ.उ. आँकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पी.ई.- अन्तिम अनुमान क्यू.ई.-त्वरित अनुमान चूँकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि नकारात्मक थी, अतः उत्प्लावकता संगणित नहीं किया गया।


वर्ष 2015-16 के संघीय करों में राज्य की हिस्सेदारी की वृद्धि दर 68.30 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में (-)13.86 प्रतिशत हो जाने के कारण राज्य के राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि वर्ष 2015-16 में 28.74 प्रतिशत से लगातार घटकर वर्ष 2019-20 में 4.03 प्रतिशत हो गयी। हालांकि उदय बॉन्ड पर एक मुश्त उधारी के कारण वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्ति वृद्धि सबसे अधिक थी।

¹ उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में हुए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तन की जवाबदेही के लचीलापन या डिग्री को बतलाता है।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के संयोजकों की प्रवृत्तियाँ




इसके अलावा, जैसा कि तालिका 2.3 और चार्ट 2.3 एवं चार्ट 2.4 में दिखाया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व में 10.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत सरकार से प्राप्त राजस्व (सी.टी.टी. एवं जी.आई.ए.) में 0.74 प्रतिशत की कमी हुई। मुख्य रूप से जी.एस.टी. में करों को शामिल किए जाने के कारण, वर्ष के दौरान सी.टी.टी. में सारभूत (₹ 3,313 करोड़ तक) कमी आई जिसे जी.आई.ए. (₹ 3,067 करोड़ तक) में महत्वपूर्ण वृद्धि के द्वारा संतुलित किया गया।

2.3.1.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग के अनुशंसाओं द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण एवं योजनाओं हेतु पूर्व अनुमानित केन्द्रीय सहायता की मात्रा से किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से स्वयं के राजस्व के संदर्भ में किया गया है।

अ. स्वयं-कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जी.एस.टी., राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मानव उपभोग हेतु अल्कोहल एवं पेट्रोलियम पर वाणिज्य कर, स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, भूमि राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। **चार्ट 2.5** वर्ष 2015-20 अवधि के दौरान राज्य के कर राजस्व की वृद्धि को दर्शाता है

चार्ट 2.5: वर्ष 2015-20 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि**तालिका 2.4: राज्य के स्वयं के राजस्व का घटक**

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
बिक्री कर	8,999	10,549	5,715	3,475	3,996	
एस.जी.एस.टी.	0	0	4,124	8,201	8,418	
राज्य उत्पाद	912	962	841	1,083	2,009	
वाहनों पर कर	633	682	779	864	1,129	
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	532	607	469	451	560	
भू राजस्व	164	240	156	389	338	
अन्य	238	259	270	289	321	
कुल	11,478	13,299	12,354	14,752	16,771	

स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर, वर्ष 2017-18 को छोड़कर जब जी.एस.टी. के लागू होने के कारण वृद्धि दर (-)7.10 प्रतिशत थी, वर्ष 2015-20 में 10.90 से 19.40 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2018-19 (19.40 प्रतिशत) के दौरान स्वयं के कर राजस्व वृद्धि वर्ष 2019-20 (13.69 प्रतिशत) से अधिक थी। कारण कि निगम कर एवं अन्य निगम कर से आय पर कम करों का संग्रह हुआ। वर्ष 2017-18 में जी.एस.टी. के लागू होने के परिणामस्वरूप करों के कम संग्रहण के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि दर अधिक थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क का संग्रहण वर्ष 2018-19 के दौरान संग्रहण का लगभग दो गुना था। यह मुख्य रूप से वर्ष 2019-20 के दौरान दुकानों की संख्या में वृद्धि एवं नई खुदरा उत्पाद नीति के लागू होने के कारण हुई। नई कर संरचना एवं बकायादारों से बकाया का संग्रहण के कारण वाहनों पर करों के संग्रहण में भी वृद्धि हुई।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के कारण राजस्व में कमी को राज्यों को आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए आगामी पाँच वर्ष की अवधि तक मुआवजा दिया जाना है। केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी.(आईजी.एस.टी) वसूलती है तथा उस राज्य को राज्यांश कर प्रदान करती है जिस राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

राज्य के देय मुआवजे की गणना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के बाद, अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत अधिरोपित कर के राजस्व आँकड़े हेतु आधार वर्ष (2015-16) को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया। झारखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 6,410.51 करोड़ था। एक राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना, उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत) के आधार पर की जाती है।

आधार वर्ष के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 10,827.10 करोड़ था जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत लगाए गए करों के संबंध में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 8,419.25 करोड़ थी। भारत सरकार ने राज्य के राजस्व संग्रहण को सुरक्षित करने के लिए चालू वर्ष के दौरान मुआवजा के रूप में ₹ 1,531.82 करोड़ दिया। हालांकि फरवरी एवं मार्च 2019 के महीनों से संबंधित मुआवजा (₹ 172.00 करोड़) मई 2019 में प्राप्त हुआ तथा दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 की अवधि से संबंधित मुआवजा राशि वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त नहीं हुई। दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 की अवधि से संबंधित मुआवजा राशि (₹ 470.17 करोड़) जून 2020 में एवं मार्च 2020 की मुआवजा राशि (₹ 199.83 करोड़) जुलाई 2020 में प्राप्त हुई।

अतः ₹ 206.03 करोड़ की कम प्राप्ति के साथ अनुमानित राजस्व ₹ 10,827.10 करोड़ के सापेक्ष एस.जी.एस.टी. संग्रहण एवं मुआवजा की राशि ₹ 10,621.07 करोड़ की प्राप्ति हुई।

आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन एवं जी.एस.टी. मुआवजा के विरुद्ध इसका समायोजन

भारत सरकार को आई.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 17 के अंतर्गत आई.जी.एस.टी. राज्य सरकार में विभाजित करना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 69.12 करोड़ की राशि की अनंतिम/ अग्रिम निपटान इस शर्त पर स्वीकृत किया कि इस राशि का समायोजन आई जी.एस. टी. के भविष्य के भुगतान से कर ली जाएगी।

जी.एस.टी. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

जी.एस.टी.एन. परिसर पर सम्पूर्ण भारत के आंकड़ों तक पहुँच प्रदान करने हेतु जून 2020 में भारत सरकार का निर्णय संप्रेषित की गई। हालाँकि, आँकड़ों तक अपेक्षित पहुँच जनवरी 2021 में प्रदान की गई। इसलिए जी.एस.टी.एन. आँकड़ों तक लेखापरीक्षा पहुँच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय के पूर्ण कार्यान्वयन के लंबित रहने के कारण वर्ष 2019-20 के लेखा को नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर उसी प्रकार प्रमाणित किया गया, जैसा कि अभिलेखों का मानव आधारित रख-रखाव किया जाता था।

बकाया राजस्व एवं बकाया मूल्यांकन का विश्लेषण

बकाया राजस्व सरकार को राजस्व के विलंब से प्राप्ति को इंगित करता है। उसी प्रकार बकाया मूल्यांकन संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध होती है। बकाया राजस्व संभावित राजस्व प्राप्तियों से राज्य को वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2020 तक, राजस्व संग्रहण में बकाया ₹ 6,532.33 करोड़ था (वाणिज्यिक कर विभाग, उत्पाद और मद्यनिषेध विभाग, मोटर वाहन कर विभाग तथा भू-राजस्व विभाग) जिनमें से ₹ 1,474.53 करोड़ पाँच साल से अधिक समय से बकाया था। इन विभागों में कुल बकाया राशि में से, ₹ 7.72 करोड़ की राशि उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग से संबंधित थी जो न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा अवरुद्ध की गयी थी।

वर्ष 2018-19 के 44.22 प्रतिशत के सापेक्ष 31 मार्च 2020 तक कुल राजस्व बकाया राज्य के स्वयं के कर (₹ 16,771 करोड़) का 37.25 प्रतिशत रहा।

विभाग द्वारा कर अपवंचन के ज्ञात मामले, धन वापसी इत्यादि के मामले

उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग द्वारा पाए गए कर अपवंचन के मामले, निष्पादित किए गए मामले एवं अतिरिक्त कर की माँग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक है। धनवापसी मामलों के निष्पादन में तेजी भी विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

तालिका 2.5: कर अपवंचन के ज्ञात मामले

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को लंबित मामले	माँग की राशि	2019-20 दौरान ज्ञात मामले	माँग की राशि	कुल मामले	माँग की राशि	मामले जिनमें जुर्माने के साथ अतिरिक्त माँग की गई		लंबित मामले	माँग की राशि
							मामले की संख्या	माँग की राशि		
बिक्री एवं व्यापार पर कर/वैट	3	27.95	0	0	3	27.95	0	0	3	27.95

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 31 मार्च 2020 तक ₹ 27.95 करोड़ की राशि के कर अपवंचन के तीन मामले सूचित किए गए। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, मोटर वाहन कर विभाग तथा भू-राजस्व विभाग द्वारा कर अपवंचन के कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

तालिका 2.6: धन वापसी मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	ब्यौरा	बिक्री कर /वैट		राज्य उत्पाद		कुल	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के शुरुआत में लंबित दावे	37	32.12	67	3.79	104	35.91
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	69	17.97	शून्य	शून्य	69	17.97
3.	वर्ष के दौरान वापसी	30	6.79	शून्य	शून्य	30	6.79
4.	वर्ष के दौरान वापसी की मनाही	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	वर्ष के अंत में लंबित शेष	76	43.30	67	3.79	143	47.09

31 मार्च 2020 तक, वाणिज्य कर विभाग (₹ 43.30 करोड़) और राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (₹ 3.79 करोड़) में ₹ 47.09 करोड़ के करों की वापसी के 143 मामलों लंबित हैं।

ब कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा मुनाफा, खनन प्राप्तियाँ, विभाग की प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 8,750 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व संग्रहित हुआ। कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण इस वर्ष हेतु एफ.एफ.सी द्वारा बनाए गए ₹ 6,224 करोड़ के मानक प्रक्षेपण से अधिक था लेकिन ₹ 11,771 करोड़ के बजट आकलन से कम था।

वर्ष 2015-20 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व का घटकवार विवरण तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: वर्ष 2015-20 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	122	121	169	47	310	
लाभांश एवं लाभ	0	0	0	0	0	
अन्य कर भिन्न प्राप्तियां	5731	5230	7678	8211	8440	
(क) अलौह खनन तथा धातु कर्म	4384	4094	5941	5935	5461	
(ख) शिक्षा	20	21	20	590	169	
(ग) शहरी विकास	268	144	122	265	529	
(घ) मुख्य सिंचाई	19	20	131	321	424	
(ङ.) जन आपूर्ति	19	4	5	6	420	
(च) अन्य	1021	947	1459	1094	1437	
कुल	5853	5351	7847	8258	8750	

वर्ष 2016-17 (11.37 प्रतिशत) को छोड़ कर 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्ति में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत रहा। कर-भिन्न राजस्व का मुख्य स्रोत अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग से प्राप्तियाँ थी। हालांकि, खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी के कम संग्रहण के कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग के अधीन संग्रहण में ₹ 473.28 करोड़ की कमी हुई जिसकी क्षतिपूर्ति नागरिक आपूर्ति और अन्य के तहत बढ़े हुए संग्रहण से हुई। 2019-20 के दौरान नकद शेष निवेश पर अर्जित ब्याज के कारण ब्याज प्राप्ति में वृद्धि हुई। सरकार ने 6.34 प्रतिशत प्रति वर्ष के औसत ब्याज दर पर उधार लिया, जबकि इसके नगद शेष पर प्राप्त ब्याज की दर केवल पाँच प्रतिशत थी।

यह देखा गया है कि शहरी विकास और नागरिक आपूर्ति से मुख्य रूप से सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई।

लघु शीर्ष-913 के अंतर्गत अनियमित जमा राशि


वर्ष 2019-20 के दौरान, 40 राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्ष के अंतर्गत, लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदान की बिना खर्च की गई शेष राशि की वसूली' से राज्य सरकार को ₹ 1,800.00 करोड़ की राशि (अनुदान की अप्रयुक्त राशि एवं योजना निधि की अप्रयुक्त राशि) जमा की गई। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं से संबंधित जमा की गई राशि का विभाजन उपलब्ध नहीं था। जमा

राशि के वास्तविक राजस्व नहीं होने के कारण तथा इनके राजस्व प्राप्तियों में शामिल होने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष का अधिमूल्यन हुआ।

स केन्द्र से अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण और सहायता अनुदान के रूप में राज्य को केन्द्रीय अंतरण, वर्ष 2013-14 को छोड़कर, जब यह इस निशान से ठीक नीचे था, वर्ष 2010-20 के दौरान राज्य की कुल गैर-ऋण राजस्व के 50 प्रतिशत से अधिक था। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न स्वयं के राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राजस्व मुआवजे की प्राप्ति के फलस्वरूप गैर-ऋण प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय हस्तांतरण का अनुपात 2017-18 के दौरान उच्चतम (62 प्रतिशत) था। 2019-20 के दौरान यह अनुपात 56 प्रतिशत था।

चार्ट 2.6: राज्य को केन्द्र से अंतरण



राज्य को केन्द्र द्वारा करों का हस्तांतरण वर्ष 2010-11 के ₹ 6,154 करोड़ से निरंतर रूप से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 23,906 करोड़ हो गई। हालांकि पूर्व वर्ष के सापेक्ष यह वर्ष 2019-20 में घटकर ₹ 20,593 करोड़ (₹ 3,313 करोड़ की कमी) हो गई।

केन्द्रीय कर अंतरण

तालिका 2.8 में पिछले पाँच वर्षों का केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) का घटकवार प्रवृत्ति दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	लागू नहीं	लागू नहीं	299	5,900	5,844
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	लागू नहीं	लागू नहीं	2,134	471	0
निगम कर	5,031	6,135	6,475	8,313	7,021
निगम कर के अलावा आय पर कर	3,503	4,264	5,467	6,122	5,502
कस्टम	2,551	2,639	2,134	1,695	1,305
संघ उत्पाद शुल्क	2,117	3,013	2,230	1,126	908
सेवा कर	2,755	3,077	2,404	220	0
अन्य कर ²	12	14	0	59	13
केन्द्रीय कर अंतरण	15,969	19,142	21,144	23,906	20,593
विगत वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	68	20	10	13	-14
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	39	41	40	43	35

पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में सी.टी.टी. की कमी का कारण मुख्य रूप से निगम कर से इतर आय पर कर प्राप्ति (₹ 621 करोड़), निगम कर (₹ 1,292 करोड़) तथा आई.जी.एस.टी. की अप्राप्ति थी। सी.टी.टी. ने 2018-19 के 42.57 प्रतिशत के सापेक्ष 2019-20 के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 58,417.14 करोड़) का 35.25 प्रतिशत था।

भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2015-20 अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर 2018-19 में (-)19.02 प्रतिशत सहित 23.23 प्रतिशत तथा 33.21 प्रतिशत के बीच वृहत रूप से दोलित थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ₹ 528 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) में ₹ 249 करोड़ तथा स्थानीय निकायों को आधारभूत अनुदान में ₹ 538 करोड़ तक कम अनुदान की प्राप्ति के कारण यह सबसे कम थी। जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु अधिक आधारभूत अनुदान प्राप्त होने के कारण इसकी वृद्धि अधिकतम थी।

² संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क शामिल हैं।

तालिका 2.9: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गैर-योजना अनुदान*	1,685.82	1,875.29	-	-	-
राज्य योजना हेतु अनुदान*	4,950.18	6,792.89	-	-	-
केन्द्रीय योजना हेतु अनुदान*	50.90	78.01	-	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान*	650.74	515.16	-	-	-
विशिष्ट योजना हेतु अनुदान	-	-	-	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सी.एस.एस.)	-	-	7,985.24	6,996.85	7,339.05
वित्त आयोग अनुदान	-	-	1,583.03	1,059.89	3,154.60
राज्यों/विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	1,844.02	1,178.78	1809.01
कुल	7,337.64	9,261.35	11,412.29	9,235.52	12,302.66
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	-0.74	26.21	23.23	-19.07	33.21
राजस्व प्राप्तियों से जी.आई.ए. की प्रतिशतता	18.06	19.68	21.63	16.45	21.06

स्त्रोत: वित्त लेखे

*कोई आँकड़े नहीं: चूँकि 2017-18 से योजना एवं गैर-योजना अनुदान का नामकरण हटा दिया गया तथा इसे सी.एस.एस. हेतु अनुदान, वित्त आयोग अनुदान एवं राज्यों को अन्य अनुदान में प्रतिस्थापित किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) अनुदान

एफ.एफ.सी की सिफारिश पर, आधारभूत और सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10: अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गमन, सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	14 ^{वें} एफ.सी. की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक निर्गमन			राज्य सरकार द्वारा निर्गमन [#]		
	2015-19	2019-20	कुल	2015-19	2019-20	कुल	2015-19	2019-20	कुल
स्थानीय निकाय									
(i) पी.आर.आई. को अनुदान	4,214.62	1,832.12	6,046.74	3,493.54	2,236.71	5,730.25	10,149.07	2,497.70	12,646.77
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	3,809.48	1,632.59	5,442.07	2,997.51	2,236.71	5,234.22	10,149.07	2,497.70	12,646.77
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	405.14	199.53	604.67	496.03	0	496.03			
(ii) यू.एल.बी. को अनुदान	1,328.72	585.83	1,914.55	670.11	586.39	1,256.50	7,695.52	1,504.45	9,199.97

(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	1,072.16	459.48	1,531.64	670.11	518.42	1,188.53	7,695.52	1,504.45	9,199.97
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	256.56	126.35	382.91	0	67.97	67.97			
स्थानीय निकायों के लिए कुल	5,543.34	2,417.95	7,961.29	4,163.65	2,823.10	6,986.75	17,844.59	4,002.15	2,1846.74
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष*	1,568.00	442.00	2,010.00	1,176.00	331.50	1,507.50	1,568.00	442.00	2,010.00
कुल योग	7,111.34	2,859.95	9,971.29	5,339.65	3,154.6	8,494.25	19,412.59	4,444.15	23,856.74

* कुल अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यांश सहित, # भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।
स्रोत: एफ.एफ.सी. प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

2.3.2 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2015-20 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	13,276.00	7,119.42	8,203.85	7,850.43	9,642.31
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	25.09	0	0
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	31.06	38.46	42.41	47.57	49.19
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	10,999.49	5,003.51	5,187.81	4,743.34	5,361.72
आंतरिक ऋण	11,001.00	4,927.00	5,117.24	4,637.10	5,109.14
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	128.46	(-55.21)	3.86	-9.37	10.17
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	(-)1.51	76.51	70.57	106.22	252.44
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)70.79	5,166.89	(-)7.76	50.52	137.66
पूँजीगत ऋण प्राप्ति की वृद्धि दर	97.98	(-)46.54	14.90	-4.10	22.93
पूँजीगत गैर-ऋण प्राप्ति की वृद्धि दर	(-)6.06	22.58	76.32	(-)29.85	4.66
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	(-)5.45	14.34	14.21	10.15	10.56
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	97.47	(-)46.37	15.23	(-)4.31	22.83

स्रोत: वित्त लेखे एवं MoSPI वेबसाइट

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, 2015-20 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर में व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। 2019-20 के दौरान बाजार ऋण (₹ 1,991 करोड़) के अंतर्गत उधार बढ़ने के कारण राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ गई। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) बांड के अंतर्गत ₹ 5,553.37 करोड़ की एकमुश्त उधारी के कारण 2015-16 में पूँजीगत ऋण प्राप्तियाँ काफी अधिक थीं। 2015-16 के बाद उदय बांड पर कोई उधार नहीं लिया गया।

2.3.3 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत सहित स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में होता है।

तालिका 2.12: 2019-20 हेतु स्वयं के कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियाँ के सापेक्ष अनुमान
(₹ करोड़ में)

	एफ.सी. अनुमान	बजट आकलन	वास्तविक	वास्तविक भिन्नता का प्रतिशत	
				बजट आकलन से	एफ.सी. अनुमान से
स्वयं के कर राजस्व	26,090.00	24,319.00	16,771.45	(-)31.04	(-)35.72
कर-भिन्न राजस्व	6,224.00	11,770.93	8,749.98	(-)25.66	40.58

जैसा कि तालिका 2.12 में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 के दौरान स्वयं के कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व का वास्तविक संग्रहण बजट अनुमानों से बहुत कम था।

2.4 संसाधनों के अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायी अधिनियम ढाँचे के अधीन व्यय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जबकि उसी समय यह भी सुनिश्चित की जाती है कि राज्य में चल रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत मूल संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निदेशित व्यय की लागत पर ना हो।

व्यय की संरचना एवं वृद्धि

तालिका 2.13, चार्ट 2.7 तथा परिशिष्ट 2.1 विगत पाँच वर्षों (2015-20) में कुल व्यय तथा उसकी संरचना की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 2.13: कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु.व्य.)	52,192	57,285	64,756	62,827	66,501
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	36,553	45,089	50,952	50,631	56,457
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	8,159	10,861	11,953	10,712	9,879
ऋण एवं अग्रिम	7,480	1,335	1,852	1,485	165
स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	25.30	24.20	24.00	21.10	20.20
राजस्व व्यय/ स.रा.घ.उ.	17.70	19.10	18.90	17.04	17.18
पूँजीगत व्यय/ स.रा.घ.उ.	3.95	4.60	4.43	3.60	3.01
ऋण एवं अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	3.62	0.57	0.69	0.50	0.05

तालिका 2.13 में दर्शाये अनुसार, स.रा.घ.उ. से कुल व्यय, राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय इत्यादि के अनुपात में वर्ष 2015-16 से निरंतर कमी हुई जो दर्शाता है कि राज्य सरकार न ही विकासात्मक गतिविधियों पर और न ही पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर राशि व्यय कर रही थी।


तालिका 2.14: विभिन्न क्षेत्रों में व्यय से संबंधित हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)


ब्यौरा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवा	24.09	23.76	26.82	29.36	30.00
सामाजिक सेवा	30.48	35.15	32.64	32.51	34.44
आर्थिक सेवा	45.33	40.99	40.46	38.06	35.48

तालिका 2.14 से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 से लगातार बढ़ा है जबकि आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 के 45.33 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 35.48 प्रतिशत हो गया था। सामाजिक सेवाओं का हिस्सा इन वर्षों के दौरान लगभग स्थिर था।

चार्ट 2.7: कुल व्यय - इसकी संरचना के हिस्से की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.8: कुल व्यय - गतिविधियों अनुसार खर्च



2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय विगत उत्तरदायित्व हेतु व्यय तथा सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः, यह राज्य के आधारभूत ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करती है।

यह देखा गया है कि कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय (रा.व्य.) वर्ष 2015-16 के 70 प्रतिशत से प्रमुखता से बढ़कर 2019-20 में 85 प्रतिशत हो गई। हालांकि स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय 2018-19 और 2019-20 के दौरान 17 प्रतिशत के स्तर पर लगभग समान था।

वर्ष 2019-20 के कुल राजस्व व्यय ₹ 56,456.63 करोड़ में से ₹ 28,829.69 करोड़ स्थापना पर तथा ₹ 27,626.94 करोड़ राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं पर व्यय किया गया। इसके अलावा, ₹ 56,456.63 करोड़ में से, मुख्य हिस्सा (38 प्रतिशत) सामाजिक सेवा पर खर्च किया गया, इसके बाद सामान्य सेवा पर (33 प्रतिशत) खर्च किया गया। कुल राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, स.रा.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्तियाँ के सापेक्ष उत्प्लावकता तथा कुल व्यय से इसका अनुपात तालिका 2.15 में दर्शाया गया है एवं 2019-20 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.15: राजस्व व्यय-आधारभूत प्राचल


(₹ करोड़ में)

प्राचल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (कु.व्य.)	52,192	57,285	64,756	62,827	66,501
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	36,553	45,089	50,952	50,631	56,457
रा.व्य. की वृद्धि (प्रतिशत)	15.0	23.4	13.0	-0.6	11.5
कुल व्य. के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	70.0	78.7	78.7	80.6	84.9
रा.व्य/ स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	17.70	19.10	18.90	17.04	17.18
रा.प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	89.9	95.8	96.6	90.2	96.6
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	(-)2.75	1.63	0.91	(-)0.06	1.09
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.52	1.48	1.07	(-)0.09	2.85

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 के दौरान कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में विभिन्न सेवाओं पर राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9 राजस्व व्यय के वितरण का क्षेत्रवार-विवरण



वर्ष 2018-19 में (-) 0.6 प्रतिशत के तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत बढ़ी तथा कुल व्यय में इसकी प्रतिशतता 4.3 प्रतिशत बढ़ी। यद्यपि, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 0.14 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। आगे, बजट आकलन (₹ 66,317 करोड़) के सापेक्ष राजस्व व्यय ₹ 9,860 करोड़ से कम था।

राजस्व व्यय में मुख्य परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन महत्वपूर्ण अंतर तालिका 2.16 में वर्णित है।

तालिका 2.16: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि(+)/ कमी(-)
2040-बिक्री कर, व्यापार इत्यादि	83.06	80.26	(-) 2.80
2075- विविध सामान्य सेवाएँ	4.96	2.02	(-) 2.94
2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,379.57	655.47	(-) 724.10
2216-आवास	17.23	12.79	(-) 4.44
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण	1,146.45	1,205.41	58.96
2236 -पोषण	547.47	436.15	(-) 111.32
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	485.37	607.69	122.32
2505-ग्रामीण विकास	3,391.95	3,495.94	103.99
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,554.32	3,769.15	214.83

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, (1) अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना (मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत), (2) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (मुख्यतः ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना, ग्रामीण स्वच्छता एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के

अंतर्गत) तथा (3) जल निकासी सेवाओं (मुख्य रूप से ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत) पर मुख्य रूप से क्रमशः 65 प्रतिशत, 56 प्रतिशत एवं 89 प्रतिशत कम खर्च के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2019-20 के दौरान जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर राजस्व व्यय में कमी हुई।

पोषण पर राजस्व व्यय मुख्य रूप से विशेष पोषण कार्यक्रमों एवं जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (मुख्य रूप से परिवार एवं बाल कल्याण के लिए पौष्टिक भोजन के वितरण हेतु विशेष योजना के तहत) पर क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 23 प्रतिशत कम हुआ।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम पर राजस्व व्यय में वृद्धि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर 57 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना पर 40 प्रतिशत तक अधिक व्यय के परिणामस्वरूप थी। इसी तरह, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में वृद्धि ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹ 1,621 करोड़ अधिक सहायता मिलने के परिणामस्वरूप हुई।

2.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विकासशील क्षेत्र के लिए सरकार को कम लचीलापन प्रदान करती है।

तालिका 2.17 वर्ष 2015-20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्तियाँ और वर्ष 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशतता को दर्शाती है।

तालिका 2.17: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी	8,218	8,927	11,221	12,138	12,832
पेंशन पर व्यय	3,990	4,135	5,913	5,991	6,005
ब्याज भुगतान	3,320	4,172	4,662	4,852	5,308
कुल	15,528	17,234	21,796	22,981	24,145
राजस्व प्राप्तियों (₹ 58,417 करोड़) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	20.20	19.00	21.30	21.60	22.00
पेंशन पर व्यय	9.82	8.79	11.21	10.67	10.28
ब्याज भुगतान	8.17	8.87	8.84	8.64	9.09
कुल	38.19	36.65	41.34	40.91	41.37
राजस्व व्यय (₹ 56,457 करोड़) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	22.50	19.80	22	24	22.7
पेंशन पर व्यय	10.92	9.17	11.61	11.83	10.64
ब्याज भुगतान	9.08	9.25	9.15	9.58	9.40
कुल	42.50	38.22	42.75	45.42	42.74

2019-20 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, ब्याज अदायगी एवं पेंशन पर कुल व्यय वर्ष 2018-19 में 45.42 प्रतिशत के सापेक्ष राजस्व व्यय का 42.74 प्रतिशत रहा जबकि इसमें वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों का 41.37 प्रतिशत खपत की गई।

ब्याज अदायगी

ब्याज अदायगी की वृद्धि दर वर्ष 2018-19 के 4.10 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में 9.40 प्रतिशत थी। मुख्यतः अन्य आंतरिक ऋण पर अधिक ब्याज अदायगी के कारण राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगी की प्रतिशतता वर्ष 2018-19 के 8.64 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 9.09 प्रतिशत हो गई। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात एफ.एफ.सी अनुशंसा के 8.08 प्रतिशत से अधिक था।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त दायित्व

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद बहाल किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (रा.पे.प्र.) के तहत रखा गया है जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के संदर्भ में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है जिसके बराबर राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

2019-20 के दौरान ₹ 496.27 करोड़ के नियोक्ता के योगदान को एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. के द्वारा नामित निधि प्रबंधक को नियोक्ता के योगदान के रूप में ₹ 522.43 करोड़ के मुकाबले ₹ 495.51 करोड़ हस्तांतरित किए। वर्ष 2019-20 के अंत तक लोक लेखा में (मुख्य शीर्ष 8342-117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना) ₹ 39.55 करोड़ शेष रह गयी।

सब्सिडी

जैसा कि तालिका 2.18 में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है वर्ष 2019-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2018-19 में 3.73 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 7.32 प्रतिशत हो गई है। निरपेक्ष मूल्य के अनुसार, सब्सिडी के भुगतान पर खर्च 2018-19 में ₹ 2,092 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 4,275³ करोड़ हो गया।

2019-20 के दौरान झारखण्ड सरकार ने मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2401-कृषि (₹ 1,746 करोड़), 2801-उर्जा (₹ 1,350 करोड़) तथा 3456-नागरिक आपूर्ति (₹ 1,044 करोड़) की सब्सिडी दी। सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई। मुख्यतः कृषि फार्म कार्यक्रम के तहत कृषि भूमि के लिए ₹ 600 करोड़, अनुसूचित जाति

³ वित्त लेखे 2018-19 का परिशिष्ट II

के विशेष संघटक योजना के लिए ₹ 200 करोड़, आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के लिए 500 करोड़ आदि तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के माध्यम से उपभोगताओं को ₹ 755 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी दिये जाने के कारण पिछले वर्ष के विरुद्ध 2019-20 के दौरान सब्सिडी में ₹ 2,183 करोड़ की वृद्धि हुई।

तालिका 2.18: वर्ष 2015-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	522	1,859	1,440	2,092	4,275
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	1.28	3.95	2.73	3.73	7.32
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	1.43	4.12	2.83	4.13	7.57

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है।

तालिका 2.19: संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(अ) स्थानीय निकायों					
नगर निगम एवं नगरपालिका	1,830.77	2,961.14	1,155.11	1,748.50	1,505.45
पंचायती राज संस्थान	3,407.48	2,533.77	1,270.13	2,937.69	2,497.70
कुल (अ)	5,238.25	5,494.91	2,425.24	4,686.19	4,003.15
(ब) अन्य					
विश्वविद्यालय	826.24	1,133.03	671.67	621.08	1,265.29
विकास प्राधिकरण	3,410.53	3,915.39	7,447.41	3,952.30	10,771.73
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	3,987.54	0	0	0	1,753.28
अन्य संस्थान	1,427.46	9,788.69	10,169.67	8,716.24	1,398.01
कुल (ब)	9,651.77	14,837.11	18,288.75	13,289.62	15,188.31
कुल (अ+ब)	14,890.02	20,332.02	20,713.99	17,975.81	19,191.46
राजस्व व्यय	36,553	45,089	50,952	50,631	56,457
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	40.74	45.09	40.65	35.50	33.99


वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्य रूप से पिछले वर्ष दिये गए (₹ 167.15 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान की कम विमुक्ति तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए ₹ 2,184.68 करोड़ कम सहायता अनुदान के कारण पी.आर.आई. के वित्तीय सहायता में ₹ 439.99 करोड़ की कमी हुई। जलापूर्ति एवं स्वच्छता के सहायता अनुदान में ₹ 375.13 करोड़ तथा भू-प्रबंध एवं अधिग्रहण के लिए ₹ 274.81 करोड़ के कारण वर्ष के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की

वित्तीय सहायता में ₹ 243.05 करोड़ की कमी हुई जिसे ₹ 432.91 करोड़ तक एफ.एफ.सी. की अनुशंसा पर अधिक आधारभूत अनुदान द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू. व्य.) वह प्राथमिक व्यय है जो निर्धारित आधारभूत संरचना जैसे सड़क, भवन इत्यादि के निर्माण पर खर्च होता है।

चार्ट 2.10: राज्य में पूँजीगत व्यय



पूँजीगत व्यय में प्रमुख बदलाव

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान पूँजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई जबकि 2018-19 में ₹ 1,241 करोड़ तथा 2019-20 में ₹ 833 करोड़ की कमी दर्ज की गयी। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान, सामाजिक सेवाओं पर 11 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं में 13 प्रतिशत की कमी के कारण पूँजीगत व्यय में कमी हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर कम पूँजीगत व्यय (पू.व्य.) के बावजूद पूँजीगत व्यय (पू.व्य.) का प्रमुख हिस्सा आर्थिक सेवाओं (₹ 7,209 करोड़) पर ही था। परिवहन (₹ 3,687 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 1,991 करोड़) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,328 करोड़) के व्यय को प्राथमिकता दी गई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान इन सभी सेवाओं पर कम व्यय हुआ।

2019-20 के दौरान पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत कुल आवंटन (₹ 12,863.92 करोड़) में से ₹ 2,985.21 करोड़ अप्रयुक्त रहा। बचत का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से प्रमुख सड़कों के निर्माण (₹ 355 करोड़), राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (₹ 250 करोड़), पुल निर्माण (₹ 145 करोड़), ग्रामीण सड़कों के

लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (₹ 436 करोड़) हेतु प्रदान किए गए निधि से था।

तालिका 2.20: 2018-19 के तुलना में 2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का मुख्य शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि(+)/कमी(-)
4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत व्यय	269.05	366.15	97.10
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत व्यय	273.39	347.69	74.30
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय	311.96	158.85	-153.11
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं पर पूँजीगत व्यय	18.22	5.47	-12.75
5054-सड़क व पुल पर पूँजीगत व्यय	3,843.01	3,674.33	-168.68
5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत व्यय	9.56	9.20	-0.36

2.4.4 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

13 कंपनियों से प्राप्त अद्यतन लेखों के अनुसार, पांच कंपनियों⁴ का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, क्योंकि उनका संचयी निवल मूल्य 31 मार्च 2019 तक (-) ₹ 7,006.84 करोड़ था।

पुनः उनके लेखाओं के अनुसार 12 कंपनियों को हानि हो रही थी और वर्ष 2018-19 के दौरान उनका हानि ₹ 583.63 करोड़ था। हानि में चल रही इन कंपनियों में से तीन कंपनियों (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और झारखण्ड रेल विनिर्माण विकास निगम लिमि.) को सरकार से वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1,465.85 करोड़ राशि का ऋण प्राप्त हुआ। चूँकि हानि में चल रही इन कंपनियों को दिया गया ऋण राज्य के पूँजीगत व्यय में शामिल किया गया था, परिणामस्वरूप 2019-20 के दौरान राज्य की परिसम्पत्तियों का अधिमूल्यन हुआ।

यह भी पाया गया कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल प्रदत्त पूँजी ₹ 14,610.81 करोड़ था जिसमें से दिनांक 31 मार्च 2019 तक राज्य द्वारा प्रदत्त पूँजी ₹ 13,402.33 करोड़ था और इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचयी हानि दिनांक 31 मार्च 2019 तक ₹ 5,503.22 करोड़ थी।

⁴ तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (- ₹ 1,013.63 करोड़), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (- ₹ 5,954.48 करोड़), झारखंड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (- ₹ 13.81 करोड़), झारखंड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (₹ 23.14 करोड़) और झारखंड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (- ₹ 1.78 करोड़)

सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2020 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में राज्य के गठन के उपरांत ₹ 447.95 करोड़ का निवेश एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 18 सरकारी कंपनियाँ (₹ 241.38 करोड़) और 21 सहकारी बैंकों और सोसायटीज (₹ 160.84 करोड़) में किया। हालांकि, 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखाओं और राज्य के स्वीकृत्यादेश के सत्यापन से पता चला कि बजट वर्गीकरण में त्रुटियों के कारण अर्थात् उचित लघु मद के तहत निवेश प्रदान नहीं करने और शेयर पूंजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दर्शाये जाने के कारण सरकारी लेखे ने 2000-2016 के दौरान ₹ 124.54 करोड़ के निवेश को कम करके आंका गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने 2019-20 के अंत में चार कंपनियों में ₹ 65 करोड़⁵ के निवेश को संशोधित कर समाशोधित कर लिया, हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़⁶ का निवेश अभी भी असमायोजित था।

तालिका 2.21: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	261.70	320.83	376.87	432.87	447.95
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.47	0	0	0	0
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.18	0	0	0	0
सरकारी उधारी पर ब्याज का औसत दर(प्रतिशत)	6.63	6.76	6.98	6.29	6.34
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	6.45	6.76	6.98	6.29	6.34

स्रोत : वित्त लेखे

अपने निवेश से कोई प्रतिफल नहीं होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान इक्विटी के रूप में राज्य के चार⁷ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और एक निगम (जनजातीय सहकारिता विकास) में ₹ 15.08 करोड़ का निवेश किया। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकारी उधार की लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच बड़ा अंतर था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा दामोदर घाटी निगम (₹ 1,781.55 करोड़) तथा तेनुघाट विद्युत् निगम

⁵ झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम ₹ 5 करोड़; झारखंड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ₹ 35 करोड़; झारखंड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम ₹ 10 करोड़ और झारखंड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड ₹ 15 करोड़।

⁶ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण ₹ 39.14 करोड़; झारखंड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड ₹ 2 करोड़; झारखंड मेडिकल एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड ₹ 5 करोड़; झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ₹ 8.40 करोड़ और झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ₹ 5 करोड़।

⁷ माइनोरिटी डेवलपमेंट एवं फाइनेंस कारपोरेशन (₹ 0.50 करोड़); झारखंड इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (₹ 4 करोड़); झारखंड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 10 करोड़) और वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (₹ 0.08 करोड़)।

लिमिटेड (₹ 100 करोड़) में इक्विटी के रूप में निवेश किया गया जिसे उत्तराधिकारी राज्य बिहार तथा झारखण्ड में बटवारा नहीं किया गया।

2.4.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

तालिका 2.21 में दिखाए गए संस्थाओं के शेयर में निवेशों के अलावे राज्य सरकार कई संस्थाओं और इसके कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम प्रदान करती है। 31 मार्च 2020 को बकाया ऋण व अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान तालिका 2.22 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.22: पाँच वर्षों के दौरान दी गई और वसूली गई ऋण की मात्रा

(₹ करोड़ में)

दी गई तथा वसूली गई ऋण की मात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋण का प्रारंभिक शेष	8,738	16,187	17,483	19,292	20,730
वर्ष के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई राशि	7,480	1,335	1,852	1,486	165
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	31	39	43	48	49
ऋण बकाया का अंत शेष	16,187	17,483	19,292	20,730	20,846
निवल जोड़	7,449	1,296	1,809	1,438	116
प्राप्त ब्याज	4.33	3.88	87.66	14.72	38.91
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर ब्याज दर	0.05	0.02	0.50	0.08	0.19
सरकार के बकाया उधार पर भुगतित ब्याज दर	6.63	6.76	6.98	7.98	6.34
ब्याज भुगतान दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.58	6.74	6.48	7.90	6.15

मार्च 2020 को समाप्त तिमाही पर कुल बकाया राशि (₹ 20,846 करोड़) का बड़ा भाग मुख्य रूप से बिजली कंपनियों (₹ 19,947 करोड़) और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 753 करोड़) के पास बकाया था।

मार्च 2020 के अंत में ऋणदाता संस्थाओं की लंबित बकाया राशि ₹ 3,136.40 करोड़ (मूलधन ₹ 1,663.07 करोड़ और ब्याज ₹ 1,473.33 करोड़) थी।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) का ऋण पूँजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के अधीन गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखों में न्यूनोक्ति हुई। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को प्रदत्त ₹ 7,222.18 करोड़ के ऋण को बोर्ड से प्राप्तियों के रूप में सरकारी लेखों में दर्शाया जाना जारी है, जबकि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार, राज्य की परिसंपत्तियों में ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक अत्योक्ति हुई।

आगे, लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹ 608 करोड़) के ऋण का बटवारा उत्तराधिकारी राज्य बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं किया गया।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेशों और ऋणों को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋणों पर प्रतिफल कम से कम सरकार की उधार लागत के बराबर हो। अन्यथा निवेशों पर नगण्य दर से वापसी के साथ बढ़ती हुई राजकोषीय दायित्व ऋण की आधारणीयता की स्थिति में ले जा सकती है।

2.4.6 अधूरी परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरूद्ध पूंजी में प्रवृत्तियों का आकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अधूरे परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि को रोकना, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और लंबे समय के लिए इच्छित लाभों से राज्य को वंचित रखता है। पुनः संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यावयन के लिए लिया गया उधार, ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवा के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाता है।

अधूरी परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार और वर्ष-वार सूचना जो 31 मार्च 2020 तक या उससे पहले पूरी की जानी थी, क्रमशः तालिका 2.23 और 2.24 में दी गई है।

तालिका 2.23: 31 मार्च 2020 तक अधूरी/परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्याँ	अनुमानित लागत	व्यय (मार्च 2020)	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्याँ	राशि
2011 तक	3	33.39	43.23	1	27.84
2012	3	54.10	17.01	1	43.04
2013	2	10.64	7.74	0	0
2014	3	16.69	13.46	2	7.49
2015	21	232.30	186.24	3	8.87
2016	22	697.73	437.39	1	13.88
2017	50	568.00	470.48	7	52.09
2018	104	989.43	739.94	9	42.48
2019	170	2,227.00	1,370.83	6	6.69
कुल	378	4,829.28	3,286.32	30	202.38

तालिका 2.24: 31 मार्च 2020 तक अधूरी परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित व्यय	व्यय	संशोधित अनुमान	
				परियोजना की संख्या	अनुमान में वृद्धि
सड़क निर्माण विभाग	90	2,575.67	1,729.46	11	69.58
ग्रामीण कार्य विभाग	89	197.28	120.40	3	0.99
पेयजल एवं सवच्छता	32	533.96	436.68	0	0.00
जल संसाधन विभाग	85	1,033.81	727.99	12	131.11
ग्रामीण विकास विभाग	61	242.72	160.46	3	0.67
भवन निर्माण विभाग	21	245.84	111.33	1	0.03
कुल	378	4,829.28	3,286.32	30	202.38

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त सारणी में दिखाई गई 378 परियोजनाओं में से केवल 30 परियोजनाओं की संशोधित लागत प्रदान की गई, जिससे पता चला कि उन 30 परियोजनाओं में ₹ 661.03 करोड़ की अनुमानित लागत समय पर उन परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 202.38 करोड़ तक बढ़ गई। चूंकि शेष परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए उनकी संशोधित लागत वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया था और इस प्रकार उसकी गणना नहीं की जा सकी।

2.4.7 लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूंजीगत व्यय

वित्त लेखों से यह देखा गया कि ₹ 982.47 करोड़ समेकित निधि के पूंजीगत शीर्ष से लोक लेखा के जमा शीर्ष में स्थानांतरित किए गए थे। कुल स्थानांतरित राशि में से ₹ 388.82 करोड़ लोक निर्माण कार्य जमा शीर्ष को और ₹ 593.65 करोड़ स्थानीय निधियों के जमा में स्थानांतरित किए गए।

तालिका 2.25: समेकित निधि से लोक लेखा में स्थानांतरण

क्रम. सं.	लेखा शीर्ष			राशि (₹ करोड़ में)	
	से	तक			
1	4047	अन्य वित्त सेवा	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	49.48
2	4055	पुलिस पर पूंजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	29.31
3	4202	शिक्षा, क्रिडा, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	10.12
4	4210	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	21.71

5	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	51.95
6	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	174.68
7	5054	सड़क एवं पुल पर पूँजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	23.98
8	5452	पर्यटन पर पूँजीगत व्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	27.59
9	4055	पुलिस पर पूँजीगत व्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा-120-अन्य निधि	126.59
10	4202	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा-120-अन्य निधि	24.62
11	4210	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर पूँजीगत व्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा-120-अन्य निधि	223.72
12	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत व्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा-120-अन्य निधि	218.72
कुल					982.47

लोक लेखे में निधि का खाता अंतरण एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में धन का हस्तांतरण मात्र था और वास्तविक व्यय नहीं था जिसके कारण पूँजीगत संभाग के अंतर्गत व्यय को अधिक दिखाया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान जमा शीर्ष से स्थानांतरित राशियों का व्यय राज्य के लेखाओं में विवरण की अनुपलब्धता के कारण पता लगाया नहीं जा सका। तथापि, यह देखा गया कि लघु शीर्ष 108-लोक निर्माण कार्य जमा अंतर्गत ₹ 3,630 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में ₹ 3,164 करोड़ जोड़ा गया था (उपर्युक्त तालिका में दिखाये गए लेन-देन को शामिल करते हुए) तथा ₹ 2,302 करोड़ खर्च किया गया जिससे मार्च 2020 के अंत तक ₹ 4,492 करोड़ का शेष रहा। इसी प्रकार ₹ 5,508 करोड़ (उपर्युक्त तालिका में दिखाये गए लेन-देन को शामिल करते हुए) लघु शीर्ष 120-अन्य निधि के अंतर्गत ₹ 6,837 करोड़ के प्रारंभिक शेष में जोड़ा गया तथा वर्ष के दौरान ₹ 4,578 करोड़ खर्च किया गया जिससे ₹ 7,767 करोड़ का शेष रहा।

2.4.8 उज्जवल डिस्कॉम बीमा योजना (उदय) का कार्यान्वयन

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव हेतु उज्जवल डिस्कॉम बीमा योजना (उदय) लॉन्च (नवम्बर 2015) किया था।

राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय (जी.ओ.आई.), संबंधित राज्य सरकार और राज्य बिजली वितरण कंपनियों के बीच त्रिपक्षीय ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया गया। इस योजना

ने राज्य सरकार को दो साल की अवधि में 75 प्रतिशत से अधिक डिस्कॉम के बकाया ऋण को अधिग्रहित करने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम का बकाया ऋण इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में लिया जाना था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिया गया ऋण बाद के तीन वर्षों में अनुदान और इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋण को इक्विटी और सब्सिडी में बदलना होगा।

पुनः राज्य सरकार को निम्नलिखित तरीके से डिस्कॉम की हानि, यदि कोई हो, को अधिग्रहित करना पड़ेगा।

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
हानि जिसे राज्य द्वारा अधिग्रहित करना है	2016-17 के नुकसान का 5%	2017-18 के नुकसान का 10%	2018-19 के नुकसान का 25%	पूर्व वर्ष के नुकसान का 50%

जाँच के दौरान यह पाया गया कि झारखण्ड सरकार ने जेबीवीएनएल पर केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रम (सी.पी.एस.यू.) की बकाया राशि का 100 प्रतिशत और 30.09.2015 तक जेबीवीएनएल के कुल बकाया ऋण का 75 प्रतिशत को अधिग्रहित कर लिया। राज्य ने जेबीवीएनएल को ₹ 6,136 करोड़ का ऋण जारी किया जिसमें उदय बॉण्ड पर ₹ 5,553 करोड़ उधार के रूप में लिया गया तथा राज्य के समेकित निधि से ₹ 583.00 करोड़ दिया गया। उदय बॉण्ड पर उधार 8 से 8.99 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ली गई जिसका पुनर्भुगतान वर्ष 2021-22 से 2030-31 के बीच किया जाना है, जबकि जेबीवीएनएल को 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम को दिए गए ऋण को 31 दिसम्बर 2020 तक योजना के अनुसार अनुदान और/या इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया गया था। हालाँकि, नवीनतम अद्यतन लेखों के अनुसार, जेबीवीएनएल को ₹ 212.17 करोड़ की हानि हुई जिससे उसका निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त होकर 31 मार्च 2019 तक नकारात्मक रूप से ₹ 5,954.48 करोड़ हो गया था। 2015-16 के बाद राज्य द्वारा उदय बॉण्ड पर कोई उधार नहीं लिया गया था।

2.4.9 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी) सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच एक व्यवस्था है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने में राज्य को सक्षम बनाती है, और एक ढांचा प्रदान करती है।

तालिका 2.26: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार-ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र *	पूर्ण		कार्यशील		भविष्य के लिए योजना	
		संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय
1	ऊर्जा	1	181.43	1	77.00	-	-
2	पर्यटन	-	-	1	250.00	-	-
3	स्वास्थ्य	-	-	1	80.10	-	-
4	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	-	-	1	12.00	1	150.00
5	सड़क एवं परिवहन	11	5,560.10	2	642.60	1	2,768.68
	कुल	12	5,741.53	6	1,061.70	2	2,918.68

स्रोत: www.pppinindia.gov.in *वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं होने के कारण भविष्य के योजना में शामिल किया गया

2.4.10 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की एक श्रेणी के तहत कुल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम होती है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता को उतना बेहतर माना जाता है।

तालिका 2.27: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय की प्राथमिकता

(₹ करोड़ में)

	ए.इ./ स.रा.घ.उ.	सी.इ./ ए.इ.	एस.एस.इ/ ए.इ.	इ.एस.इ/ ए.इ.	शिक्षा/ए.इ.	स्वास्थ्य/ ए.इ.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2014-15)	15.99	13.98	36.14	32.36	16.54	4.92
झारखण्ड	17.46	14.52	33.66	37.60	15.27	4.24
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2019-20)	15.15	12.97	36.73	28.69	15.91	5.21
झारखण्ड	20.24	14.86	34.44	35.48	15.04	4.72


जैसा कि तालिका से स्पष्ट है 2019-20 के दौरान शिक्षा व्यय और आर्थिक सेवा व्यय का कुल व्यय से अनुपात 2014-15 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में कम रहा, जबकि 2019-20 के दौरान कुल व्यय से अन्य व्ययों के अनुपात में सुधार देखा गया।

शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र के व्यय पर सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत की तुलना में वर्ष 2014-15 तथा 2019-20 दोनों में झारखण्ड का अनुपात कम था।

2.4.11 वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय

वित्त लेखे सिर्फ लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन को दर्शाता है। अतः वित्त लेखे के विवरण चार में वस्तु शीर्ष के स्तर तक दिखाया जाता है। **चार्ट 2.11** वस्तु उद्देश्य के प्रमुख मदों पर व्यय के बारे में जानकारी साझा करता है।

चार्ट 2.11: मुख्य मदों पर व्यय



जैसा कि **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 के दौरान वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल व्यय का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया गया, हालांकि, प्रमुख कार्यों पर अर्थात् राज्य के बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए लगभग कुल व्यय का 14 प्रतिशत व्यय किया गया।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियां और संवितरण के कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत निर्धारित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। इस संबंध में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-बार निवल शेष **तालिका 2.28** में दिया गया है


तालिका 2.28: 31 मार्च 2020 तक लोक लेखाओन में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
I. लघु बचत, भविष्य निधि आदि.	लघु बचत, भविष्य निधि आदि.	-1,197.17	-1,075.67	-1,142.18	-1,211.11	-1,216.86
J. आरक्षित निधि	(अ) रक्षित निधि ब्याज सहित	-876.46	-1,259.21	-1,551.04	-1,930.09	-5,948.02
	(ब) रक्षित निधि ब्याज रहित	0	0	0	0	0
K जमा व अग्रिम	(अ) रक्षित निधि ब्याज सहित	-14.13	-9.7	-13.52	-12.64	-39.55
	(ब) रक्षित निधि ब्याज रहित	-8,601.67	-13,637.8	-18,356.4	-19,853.8	-21,065.2
	(स) अग्रिम	4.5	4.94	5.78	6.28	7.15
L. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	-122.45	-92.08	132.14	5.42	-91.29
	(ब) अन्य लेखे	2,108.66	1,445.59	392.6	207.09	3,117.62
	(स) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0	0	0	0	0
	(द) विविध	0	0	0	0	0
M. प्रेषण	(अ) मनीऑर्डर, एवं अन्य प्रेषण	-0.96	28.65	-66.84	-118.85	-114.25
	(ब) अंतर सरकारी समायोजन खाता	23.62	24.15	27.16	19.57	31.95
कुल		-8,676.06	-14,571.13	-20,572.30	-22,888.13	-25,318.45

नोट: सकारात्मक डेबिट शेष एवं नकारात्मक क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

चार्ट 2.12: लोक लेखा शेष की संरचना में वर्ष-वार परिवर्तन



पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान जमा तथा अग्रिम में निवल योग मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा अंतर्गत व्यक्तिगत जमा (₹ 1,156 करोड़), लोक निर्माण कार्य जमा (₹ 862 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि का जमा के अंतर्गत अन्य निधि (₹ 930 करोड़) के क्रेडिट में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण था। वर्ष के दौरान राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि को ₹ 4,158 करोड़ जमा होने के कारण ब्याज सहित रक्षित कोष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.5.2 ब्याज सहित रक्षित निधि

रक्षित निधि राज्य सरकार के लोक खाते के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। ये निधियां राज्य के समेकित निधि से अंशदान या अनुदानों से बनाये गए हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के दो ब्याज सहित आरक्षित निधि हैं; (1) राज्य आपदा मोचन निधि (2) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

एस.डी.आर.एफ. दिशा-निर्देश 2015 के कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार को लोक लेखे शीर्ष के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त हिस्से को एस.डी.आर.एफ. में प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों के हिसाब से ब्याज सहित राशि (आर.बी.आई की बैंक दर) जारी करने की आवश्यकता होती है।

2019-20 के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति के बाद 74 दिनों (₹ 165.75 करोड़) और 162 दिनों (₹ 165.75 करोड़) के विलंब के साथ लोक लेखों में अपने हिस्से के साथ भारत सरकार से प्राप्त योगदान को हस्तांतरित किया, जिसके लिए राज्य सरकार ₹ 7.85 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया।

एस.डी.आर.एफ दिशा-निर्देश 2015 के कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य द्वारा निधि के तहत शेष का (अ) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ब) नीलामी की गई कोषागार विपत्रों और (स) वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज वाले जमा और अधिसूचित जमा के प्रमाण-पत्र में निवेश किया जाना था। झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 400 करोड़ अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में निवेश किया गया।

पुनः दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार ओवर ड्राफ्ट पर देय ब्याज 7.59 प्रतिशत की दर से गैर-निवेशित शेष राशि पर भुगतान करने की आवश्यकता थी, जिसे उसी कोष में जोड़ा जाना था। हालांकि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके गठन के समय से ही कोई ब्याज भुगतान नहीं किया था, जिससे 2011-20

की अवधि के दौरान लागू ब्याज दरों पर ब्याज ₹ 681.76 करोड़ हो गया था। इसमें से, केवल 2019-20 में अभुगतित ब्याज ₹ 146.49 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। इसके साथ-साथ, 31 मार्च 2020 तक निधि में ₹ 1,930.09 करोड़ का अनिवेशित शेष सिर्फ खाता प्रविष्टि थी जो वास्तविक नकद शेष को नहीं दर्शाते हैं। इस तरह निधि के संचालन के शुरुआत से अदत्त ब्याज राज्य के अलेखित देनदारियों को दर्शाता है।

तालिका 2.29: एस. डी. आर. एफ को भारत व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

लेखे के प्रमुख शीर्ष	लेखे के लघु शीर्ष	2019-20 के दौरान व्यय
2245- प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 01- सूखा	101-नि.शुल्क राहत	38.28
	102-पेयजल आपूर्ति	109.68
उप योग		147.96
2245- प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि	101- नि.शुल्क राहत	1.29
	113- घर के मरम्मत और पुर्णनिर्माण	2.24
	114- किसानों को कृषि इनपुट के खरीदी के लिए सहायता	0.10
उप योग		3.64
05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	101-रक्षित निधि एवं जमा निधि में स्थानांतरण-रा.आ.प्र.नि.	221.00
	901- कटौती - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	214.10
उप योग		6.90
2245-प्राकृतिक आपदा के लेखे पर राहत 80- सामान्य	निदेशन एवं प्रशासन, आपदा तैयारी का प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इत्यादि	62.74
उप योग		62.74
कुल योग		221.24

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

सी.ए.एफ. (लेखा पद्धति) नियम 2018 के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी से प्राप्त सभी रकम प्राथमिक तौर पर मुख्य शीर्ष "8336- नागरिक जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "103- राज्य वनीकरण जमा" में जमा करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात इसका 90 प्रतिशत मुख्य-शीर्ष "8121-सामान्य एवं रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु-शीर्ष- "129-राज्य वनीकरण जमा" में जमा करना था। शेष 10 प्रतिशत मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि के मुख्य शीर्ष "8336-नागरिक जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "102-राष्ट्रीय वनीकरण जमा-11 झारखण्ड" को अंतरित करना था।

इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक प्राधिकारी से राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने पर (एक बार के लिए) इसे मुख्य-शीर्ष "8121 सामान्य और अन्य रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु शीर्ष-"129- राज्य वनीकरण जमा" में जमा की गई।

ब्याज ₹ 220.13 करोड़ के साथ, अनौपचारिक प्राधिकारी के पास रखे राज्यांश के 90 प्रतिशत की राशि के रूप में 2019-20 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 4,158.02 करोड़ (7 फरवरी 2019 तक समाशोधित) भारत सरकार से प्राप्त हुए और झारखण्ड क्षतिपूरक वनीकरण कोष में जमा की गई। इसके साथ लाभुको से प्राप्त ₹ 568.73 करोड़ (8 फरवरी 2019 से 31 मार्च 2020) को जे.सी.एफ.सी में 90 प्रतिशत जमा करने तथा केन्द्रीय निधि में 10 प्रतिशत प्रेषित करने के बजाय सीधे केन्द्रीय निधि में अंतरित कर दी गई। इस निधि से वर्ष के दौरान ₹ 146.99 करोड़ व्यय किया गया जबकि, 31 मार्च 2020 तक ₹ 4,011.03 करोड़ जे.सी.एफ.सी में शेष था।

2.5.3 ब्याज रहित रक्षित निधि

समेकित हास निधि

बारहवें वित्त आयोग के सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लेखाओं के दायित्वों सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि बनाया था।

वर्ष 2019-20 के शुरुआत में झारखण्ड सरकार का ₹ 83,782.93 करोड़ का बकाया ऋण था जिसके लिए झारखण्ड सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 280.16 करोड़ का बजट प्रावधान हास निधि में स्थानांतरित करने हेतु किया। हालांकि वर्ष के दौरान कोई राशि स्थानांतरित नहीं किया गया। इसी प्रकार, पिछले वर्षों के दौरान किए गए बजट प्रावधानों को भी निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया और निधि निष्क्रिय बनी रही। इसके अलावा, निधि के गैर-हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष का अधिक आकलन और राज्य के राजकोषीय घाटे का कम आकलन की चर्चा कंडिका 1.5.1 में की गई है।

प्रत्याभूति मोचन निधि

भारत का संविधान में प्रावधान है कि कोई राज्य सरकार, भारत क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, समय-समय पर अपनी विधायिका के अधिनियम द्वारा तय कर सकती है और ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, जैसा कि तय किया गया हो।


बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, झारखण्ड सरकार को निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति मोचन निधि (जी.आर.एफ.) का गठन करना था। यह प्रत्याभूति जोखिम के आधार पर करना था। निधि में योगदान की मात्रा उसी के अनुसार तय की जानी थी। निधि में संचय का उपयोग सरकार द्वारा वैसे संस्थानों, जिनके लिए प्रत्याभूति जारी की गई तथा उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया, के भुगतान के लिए किया जाता है। हालांकि, निधि का सृजन नहीं किया गया है।

2.5.4 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन राज्य के ऋण के वित्त पोषण हेतु आवश्यक निधि की उगाही, जोखिम तथा मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने, तथा अपने सम्प्रभु ऋण लक्ष्यों के प्रबंधन, जैसा कि सरकार द्वारा किसी स्थापित कानून या अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के द्वारा निर्धारित करे, हेतु रणनीति को स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है।

2015-20 की अवधि में राज्य के कुल ऋण की स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता चार्ट 2.13 में दिखाई गई है। 31.3.2020 को राज्य के दायित्वों एवं सम्पत्ति का सारांश परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

चार्ट 2.13: सरकार के कुल ऋण और इसकी स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता



2.5.4.1 ऋण विवरण अवयव

राज्य सरकार के कुल ऋण में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि) केंद्र सरकार से ऋण समाहित होता है।

2015-20 के दौरान लोक ऋण और लोक लेखा की प्राप्तियों और देयताओं के पश्चात धन की उपलब्धता का विवरण तालिका 2.30 में दिया गया है।

तालिका 2.30: घटक वार ऋण प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल बकाया	56,530.49	66,826.97	77,095.03	83,782.93	94,406.60
लोकऋण					
आंतरिक ऋण	43,755.57	48,682.31	53,799.09	58,436.19	63,545.46
भारत सरकार से उधार	2,085	2,162	2,233	2,339	2,592
लोक लेखा का उत्तरदायित्व	10,689.43	15,982.37	21,063.09	23,007.66	28,269.62
बकाया उधार के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	29.75	18.21	15.37	8.67	12.68
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	2,06,613	2,36,250	2,69,816	2,97,204	3,28,598
ऋण/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	27.36	28.29	28.57	28.19	28.73
कुल ऋण प्राप्ति	33,843.34	19,192.64	25,205.53	22,223.80	30,980.35
कुल ऋण पुर्नभुगतान	20,881.94	8,896.17	14,937.47	15,535.90	20,356.68
ब्याज भुगतान	3,320.00	4,172.00	4,661.68	4,851.97	5,307.71
उधार राशि की निवल उपलब्धता	9,641.40	6,124.47	5,606.38	1,835.93	5,315.96
ऋण पुर्नभुगतान/ ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	71.51	68.09	77.76	91.74	82.84


राज्य का कुल राजकोषीय दायित्व 2018-19 में (कुल ऋण) ₹ 83,783 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 94,407 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्वों अनुपात एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 27.10 प्रतिशत के विरुद्ध 28.73 प्रतिशत था। बढ़ता हुआ दायित्व राज्य सरकार के वित्त की धारणीयता के मामले को दर्शाता है। आगे, पूर्ववर्ती बिहार के राजकोषीय दायित्वों को पुनर्गठित बिहार एवं झारखण्ड के बीच बटवारा अब तक नहीं हुआ है।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता 2015-16 में ₹ 9,641 करोड़ से धीरे-धीरे घटकर 2018-19 में ₹ 1,836 करोड़ हो गई जो 2019-20 के दौरान प्रमुखता से बढ़कर ₹ 5,315.96 करोड़ हो गई। 2019-20 के दौरान, उपलब्ध ऋण की निधि में मुख्य योगदानकर्ता रक्षित निधि के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष की प्राप्तियाँ (₹ 4,011 करोड़) और ब्याज रहित जमा राशि (₹ 1,211 करोड़) थी।


पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान, लोक ऋण और अन्य दायित्वों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 39.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लोक ऋण की अदायगी और ब्याज सहित अन्य देनदारियों में 25.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार निधि की अधिक उपलब्धता रही। हालांकि, 2019-20 के दौरान मौजूदा देनदारियों के निर्वहन के लिए उधार धनराशि के बड़े हिस्से का उपयोग किया गया था। 2019-20 के दौरान घटक-वार ऋण प्रवृत्ति चार्ट 2.14 में दिखाया गया है जबकि चार्ट 2.15 राज्य के कुल ऋण में लोक ऋण

और लोक लेखे का अवयव का विभाजन दर्शाता है। चार्ट 2.16 वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की प्राप्ति और पुनर्भुगतान दर्शाता है।


चार्ट 2.14: 2019-20 के अंत में कुल ऋण का ब्यौरा



चार्ट 2.15: समग्र ऋण में लोक ऋण तथा लोक लेखे का घटक



चार्ट 2.16: आंतरिक ऋण प्राप्ति के साथ भुगतान



2015-20 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप का विवरण तालिका 2.31 में दिया गया है।

तालिका 2.31 राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्त पोषण स्वरूप

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
राजकोषीय घाटा के अवयव						
1	राजकोषीय घाटा	4,085	1,965	1,804	5,521	1,960
2	निवल पूँजीगत व्यय	8,159	10,861	11,928	10,712	9,879
3	निवल उधार व अग्रिम	7,449	1,296	1,809	1,438	116
राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण का स्वरूप						
1	बाजार से उधार	4,755	4,725	4,807	4,023	5,656
2	भारत सरकार से उधार	-2	77	71	106	252
3	एनएसएसएफ द्वारा जारी विशेष प्रतिभूति	573	-733	-746	-757	-769
4	वित्तीय संस्थानों से उधार	5,673	934	1,054	1,371	222
5	लघु बचत ,भविष्य निधि	-159	-121	66	69	6
6	जमा एवं अग्रिम	2,112	5,031	4,722	1,496	1,238
7	उचंत व विविध	21	-30	-224	127	97
8	प्रेषण	1	-30	93	60	-17
9	आरक्षित निधि	10	383	292	379	4,018
10	कुल हानि	12,984	10,236	10,135	6,874	10,703
11	नगद शेष में वृद्धि /कमी	-1,461	-43	1,798	-245	-2,668
12	कुल राजकोषीय हानि	11,523	10,193	11,933	6,629	8,035

2019-20 के दौरान ₹ 8,035 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 5,656 करोड़), रक्षित निधि (₹ 4,018 करोड़) और जमा व अग्रिम (₹ 1,238 करोड़) द्वारा वित्तपोषित था। भारत सरकार से अगस्त 2019 और मार्च 2020 में प्राप्त झारखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि से संबंधित रक्षित निधि का उपयोग किया गया।


2.6 ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान अवधि विन्यास ऋण पुनर्भुगतान या ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.32: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0 - 1	1,483.01	2.24
1 - 3	7,972.00	12.05
3 - 5	11,061.14	16.72
5 - 7	13,169.87	19.91
7 और अधिक	32,450.97	49.08
कुल	66,136.99	100.00

चार्ट 2.17: ऋण परिपक्वता अवधि विन्यास



लोक ऋण की परिपक्वता अवधि विन्यास को दर्शाते हुए तालिका 2.32 और चार्ट 2.17 से स्पष्ट है कि पुनर्भुगतान का दबाव वर्ष 2022-23 से बढ़ने की सम्भावना है और झारखण्ड सरकार के स्टॉक की परिपक्वता के कारण वर्ष 2025-26 से शीर्ष पर पहुंचने की संभावना है।

2.6.1. राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता के उपरोक्त संदर्भ में, 13वें वित्त आयोग ने ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात के संदर्भ में तथा राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण धारणीयता को परिभाषित किया। 14वें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी) ने केन्द्र और राज्य सरकार के लिए राजकोषीय समेकन हेतु सिफारिश की और स.रा.घ.उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक हेतु सीमाएं प्रदान की।

झारखण्ड सरकार अपने एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2007 में अनुमानित स.रा.घ.उ के तीन प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटा न रखने का निर्णय लिया। बजट के साथ प्रस्तुत एफ.आर.बी.एम अधिनियम के मद्देनजर एम.टी.एफ.पी विवरण में प्रत्येक वर्ष स.रा.घ.उ से ऋण स्टॉक के प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया।

ऋण स्टॉक की स्थिति के तुलना में एफ.एफ.सी लक्ष्य और एफ.आर.बी.एम लक्ष्य तालिका 2.33 में दिए गए हैं।

तालिका 2.33: ऋण धारणीयता - एफ.आर.बी.एम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	सा.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत में)		सा.रा.घ.उ. से कुल ऋण (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.एफ.सी लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	2.80	5.58	27.4	27.36	8.68	8.17
2016-17	2.16	4.31	28.3	28.29	8.63	8.87
2017-18	2.49	4.42	27.9	28.57	8.54	8.84
2018-19	2.61	2.23	27.2	28.19	8.32	8.64
2019-20	2.09	2.45	27.1	28.73	8.08	9.09

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के वित्त लेख, एम.टी.एफ.पी एवं एफ.एफ.सी. प्रतिवेदन

राज्य सरकार 2019-20 के दौरान एफ.आर.बी.एम लक्ष्यों (तीन प्रतिशत) के नीचे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सक्षम थी, हालांकि एम.टी.एफ.पी विवरण में निर्धारित संशोधित लक्ष्य (2.09 प्रतिशत) को प्राप्त करने में वह विफल रही। एफ.एफ.सी द्वारा राजस्व प्रप्ति से ब्याज भुगतान (ब्याज भुगतान का भार) का मानक अनुमान राज्य द्वारा प्राप्त नहीं किया गया और यह 2016-17 के बाद अनुमान से अधिक रहा।

अनुशांसा 2: यद्यपि राज्य के राजस्व घाटे को शून्य करने तथा राजस्व अधिशेष को प्राप्त करने के एफ.आर.बी.एम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तथापि राज्य को अपने राजकोषीय घाटे को एफ.आर.बी.एम लक्ष्य तथा मध्यावधि समीक्षा के बाद एम.टी.एफ.पी में संशोधित लक्ष्य को पूरा करने हेतु ठोस प्रयास करने चाहिए।

2.6.2 ऋण निधि की उपयोगिता

आदर्श रूप से उधार ली गई निधि का उपयोग पूंजी निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और

बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग धारणीय नहीं है।

तालिका 2.34: उधार निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	कुल उधार	13,244.65	7,081.42	8,136.85	7,803.43	9,593.12
2	पूर्व उधार का पुनर्भुगतान (मुलधन)(प्रतिशत)	2,245.93	2,077.88	2,949.50	3,060.10	4,231.40
3	निवल पूँजीगत व्यय	8,159.00	10,861.00	11,927.62	10,711.71	9,878.71
4	निवल उधार व अग्रिम	7,449.00	1,296.00	1,809.00	1,438.43	116.24
5= (1-2-3-4)	निवल उपलब्ध ऋण से पूरित राजस्व व्यय का अंश	-4,609.28	-7,153.46	-8,549.27	-7,406.81	-4,633.23

स्रोत : वित्त लेखे

2019-20 के दौरान राज्य को पूर्व के ऋणों के लिए ₹ 4,231.40 करोड़ का भुगतान करना था जिनमें से ₹ 1,960.51 करोड़ राजस्व अधिशेष से और शेष ₹ 2,270.89 करोड़ चालू वर्ष के ऋणों से लिया गया जिससे राज्य द्वारा पूँजीगत व्यय और ऋण तथा अग्रिमों के लिए उधार ली गई धन की कम उपलब्धता रही। लोक ऋण से अनाच्छादित पूँजीगत व्यय का भाग की प्रतिपूर्ति लोक लेखे के शेष से किया गया।

2.6.3 प्रत्याभूतियों की यथास्थिति (आकस्मिक देयताएं)

भारत का संविधान यह बताता है कि कोई राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया गया, अपने विधायिका के अधिनियम द्वारा तय किया जाए और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति दे, जैसा कि तय हो, उधार ले सकता है। प्रत्याभूति लेनदार द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर प्रत्याभूति आकस्मिक दायित्व होते हैं।

झारखंड सरकार ने इस संबंध में न तो प्रत्याभूति मोचन निधि बनाई है और न ही कोई नीति बनाई है। हालांकि सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में दिसम्बर 2018 में ₹ 450 करोड़ राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) दिया था। पुनः फरवरी 2013 में जे.एस.ई.बी. के पक्ष में दिया गया ₹ 157.15 करोड़ का एल.ओ.सी. जनवरी 2014 में जे.एस.ई.बी. के विखंडित होने के बाद भी सरकार के लेखाओं में समाशोधन हेतु लंबित था।

तालिका 2.35: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ब्याज सहित प्रत्याभूति की लंबित राशि	157.15	157.15	157.15	607.15	607.15

2.7 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकार को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू.एम.ए.)/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस.डब्लू.एम.ए.)/ ओवर ड्राफ्ट (ओ.डी) के द्वारा कमी को पूरा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को देय साधारण डब्लू.एम.ए की सीमा को संशोधित किया गया (1 फरवरी 2016 से लागू ₹ 720.00 करोड़)। राज्य सरकार भारत की अल्पकालीन और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और कोष विपत्रों में अपने नकद अधिशेष का निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष को समेकित हास निधि, प्रत्याभूति मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है। तालिका 2.36 2018-19 और 2019-20 के दौरान सामान्य नकद शेष और इसमें निवेश का तुलनात्मक वितरण दिखाता है और तालिका 2.37, 2015-20 की अवधि के दौरान नकद शेष के निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673) की स्थिति को दिखाता है।

तालिका 2.36: नकद शेष और इसके प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2019 को अन्त शेष
अ. सामान्य नगद शेष		
कोषागार में नगद	0	0
रिजर्व बैंक में जमा	188.30	-54.14
अन्य बैंक में जमा	0	0
स्थानीय प्रेषण ।	0	0
कुल	188.30	-54.14
रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	167.90	3,070.62
कुल (अ)	356.20	3,016.48
ब. अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण विभागीय अधिकारी, वन विभागीय अधिकारी	39.05	46.84
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थाई अग्रिम	0.13	0.16
चिन्हित निधि में निवेश	400.00	400.00
कुल (ब)	439.18	447.00
कुल (अ + ब)	795.38	3,463.48
ब्याज प्राप्ति	31.43	147.42

स्रोत : वित्त लेखे

तालिका 2.37: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)	ब्याज अर्जित
2015-16	666.13	2,102.04	1,435.91	117.26
2016-17	2,102.04	1,439.09	-662.95	117.01
2017-18	1,439.09	354.56	-1,084.53	78.56
2018-19	354.56	167.90	-186.66	31.43
2019-20	167.90	3,070.62	2,902.72	147.42

31 मार्च 2020 तक नकद शेष निवेश लेखा में शेष राशि ₹ 3,070.62 करोड़ थी और 2019-20 के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 147.42 करोड़ था। नकद शेष में उल्लेखित वृद्धि भारत सरकार से राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष की प्राप्ति के कारण हुई। वर्ष 2012-13 में अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ₹ 400 करोड़ इन निर्धारित निधियों (एस.डी.आर.एफ) से निवेश किया गया था।

खातों में परिलक्षित आंकड़े ₹ 54.14 करोड़ (क्रेडिट) तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई ₹ 12.45 करोड़ (डेबिट) के बीच 41.69 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अंतर था। रिजर्व बैंक जमा शेष में इस अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आर.बी.आई, राँची के साथ समाशोधन एवं आवश्यक सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

चार्ट 2.18 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों और नकदी शेष के तुलनात्मक रुझान को दर्शाता है

चार्ट 2.18: बाजार ऋण एवं नकदी शेष की प्रवृत्ति



राज्य सरकार द्वारा प्रचुर नगद शेष होने के बावजूद तथा इसके उत्पादक इस्तेमाल के बिना सिर्फ नगद शेष को बढ़ाने हेतु बाजार ऋण लेना अपेक्षित नहीं है।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 5,656 करोड़ की बाजार ऋण की उगाही की जबकि उसी समय नगद शेष ₹ 795 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,463 करोड़ तक प्रमुखता से बढ़ा जो यह दर्शाता है कि उस स्तर तक ऋण से बचा जा सकता था।

2.8 निष्कर्ष

सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आँकने के लिए घाटे का संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन प्रमुख मापदण्ड हैं।

राज्य में वर्ष 2019-20 में ₹ 1,960.51 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। एफ.आर.बी.एम लक्ष्य और एफ.एफ.सी. मानदण्ड तीन प्रतिशत के विरुद्ध राज्य का राजकोषीय घाटा मार्च, 2020 के अंत तक स.रा.घ.उ. का 2.45 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय में, सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 से लगातार बढ़ा है, जबकि, आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 में 45.33 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 35.48 प्रतिशत हो गया। 2015-20 के दौरान सामाजिक सेवा पर व्यय का हिस्सा 30.48 से 35.15 प्रतिशत के बीच दोलित था।

राज्य के कुल व्यय में राजस्व व्यय 84.90 प्रतिशत था, जिसका 42.74 प्रतिशत वेतन, सब्सिडी, ब्याज और पेंशन भुगतान पर खर्च किया गया। वेतन, ब्याज और पेंशन भुगतान पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का 41.37 प्रतिशत खपत हुआ।

सामाजिक सेवाओं पर 11 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 13 प्रतिशत के कम व्यय के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 833 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2020 को समाप्त राज्य के वार्षिक लेखा के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ₹ 447.95 करोड़ का निवेश सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं में किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 2019-20 के दौरान 'शून्य' था जबकि सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान उधार पर 6.34 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण की एक बड़ी राशि मार्च, 2020 (₹ 20,846 करोड़) के अंत तक बकाया है।

कुल मिलाकर वित्तीय देनदारियाँ 2018-19 में ₹ 83,783 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 94,407 करोड़ हो गईं। राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 28.73 प्रतिशत के विरुद्ध 27.10 प्रतिशत था।

बढ़ते दायित्वों राज्य सरकार के लिए वित्त की वहनीयता का मुद्दा था। बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन भी अब तक नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से इसे कोई ब्याज नहीं दिया, जो 2011-20 की अवधि के लिए ब्याज की लागू दरों पर ₹ 681.76 करोड़ होता है। यद्यपि झारखण्ड सरकार ने उस वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 280.16 करोड़ का बजट प्रावधान किया, जिसका अंतरण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति एवं राजकोषीय घाटे के न्यूनोक्ति हुई।